रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1971/श्रावण 7, 1893
No. 396] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1971/SRAVANA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्यय दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1971

S.O. 2851.—In pursuance of clause (d) of Section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (No. 51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri S. R. Mehta, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, as a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh *vice* Shri G. K. Bhanot, and makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning No. F. 29-29/66-ME(PG), dated the 12th April, 1967 as amended by Ministry of Health and Family Planning Works, Housing and Urban Development Notification No. 1-14/69-ME(PG), dated the 19th June, 1969.

In the said notification for entry I, the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Shri S. R. Mehta, Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India.

[No. F. 1-57/71-ME(PG).]

PREMA JOHARI, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2851—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के खण्ड (घ) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० आर० मेहता, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, को श्री जी० के० भनोट के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का सदस्य मनोनीत करती है तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/44/69 एम ई (पी० जी०) दिनांक 19 जून, 1969 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 29/29/66-एम ई (पी० जी०) दिनांक 12 अप्रैल 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

कथित अधिसूचना में प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, नामत :—

1. श्री एस० आर० मेहता,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार ।

[सं० एफ० 1-57/71-एम० ई० (पी० जी०)]

प्रेमा जौहरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971